राजस्थान सरकार

न्यायायल : उप खण्ड अधिकारी, नीमराना अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक :
56 / 2024	18.12.2024	18-9-25

उनवानः

1. कृष्ण पुत्र कन्हैया जाति अहीर
2. सत्यनारायण पुत्र कन्हैया जाति अहीर
3. रामकिशोर पुत्र कन्हैया जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तहसील नीमराना नई तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

.....अप्रार्थीगण / वादीगण

बनाम

1. वेदप्रकाश पुत्र जगन जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी
2. शारदा बेवा देशराज जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी
3. नरेन्द्र पुत्र देशराज जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी
4. योगेश पुत्र देशराज जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी
5. पूनम पुत्री देशराज जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी
6. आशा पुत्री देशराज जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी
7. मनीषा पुत्री देशराज जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
8. उप पंजीयक नीमराना हाल मांढण तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड

.....असल प्रतिवादीगण

9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, नीमराना हाल तहसील मांढण
10. शाखा प्रबन्धक पी0एन0बी0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

...तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, मुताबक बाहमी तबादला व हुक्म ईम्तनाई दवामी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः– श्री नोपेन्द्रकुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता प्रार्थी / प्रति. सं0 1 लगा. 4 की ओर
श्री रविन्द्र कुमार सामरिया योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी / वादीगण की ओर से

।। निर्णय ।।

प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अप्रार्थीगण / वादीगण द्वारा हम प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त अनुवानी राजस्व वाद सं0 1983 / 2015(195 / 2013) बाबत इस्तकरार हक, मुताबिक बाहमी तबादला एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी का इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 363 रकबा 0.58 है0, 357रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना मे स्थित है खसरा नम्बर 363 रकबा 0.58 है0 के खातेदार काश्तकार वादीगण तथा खसरा नम्बर 357 रकबा 0.67 है0 के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 लगा0 8 है । खसरा नम्बर 363

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की है जो असल प्रतिवादी सं. 1 लगा0 8 की अन्य आराजी के पास लगती हुई होने एवं खसरा नम्बर 357 वादीगण की अन्य आराजी के पास लगती हुई होने की सूरत मे वादीगण व असल प्रतिवादी सं0 1 व असल प्रतिवादी सं0 2 लगा0 8 के पति/पिता देशराज ने अपने–अपने कब्जा काश्त की सहूलियत से आपस मे बाहमी तबादला दिनांक 25.06.1988 को मौजिजा व्यक्तियो की उपस्थिती मे किया था तब से मुताबिक बाहमी तबादला के काबिज है। वक्त तबादला वादीगण का खसरा नम्बर 363 कृषि भूमि अच्छी व समतल होने एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा0 8 की भूमि खसरा नम्बर 357 उबड खाबड व नरम जमीन होने की सूरत मे अच्छी बुरी करके 58 एयर वादीगण असल प्रतिवादी सं0 1 लगा0 8 को दी व 58 एयर के बदले 67 एयर भूमी ली थी । वादीगण ने काफी लागत लगाकर उक्त भूमि को कृष योग्य बनाई है जिसमे वादीगण ने रिहायशी मकान भी बना रखे है जो खसरा गिरदावरी मे आबादी दर्ज है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को बार–बार मुताबिक तबादला के अपनी खातेदारी दर्ज कराने के लिए कहते रहे तो प्रतिवादीगण कहते रहे कि अपना अपना कब्जा है आपने मकान बना रखे है कभी समय मिलेगा या गांव मे कैम्प आदि लगेगा उसमे सभी मौजूद रहेगें और अपने–अपने नाम करवाले गें। ऐसा कहकर आज तक टालबाल करते रहे है। अब प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के मन मे बेईमानी आ गयी है जो तबादला से मुकरने व वादीगण को बेदखल करने एवं दिगर लोगो को मुन्तकिल करने पर आमादा फिसाद है। इसलिए तबादला के आधार पर खसरा नम्बर 363 की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के नाम से एवं खसरा नम्बर 357 की खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज किया जाने बाबत दावा डिक्री किया जाने की प्रार्थना की गई।

न्यायालय श्रीमान् द्वारा वादीगण के उक्त वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सूचना हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजने के आदेश दिये गये। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड नोटिस डाक से भिजवाये गये । लेकिन वादीगण द्वारा डाक विभाग का कर्मचारी जो डाक बांटता है उससे मिलकर, सभी प्रतिवादीगण की डाक स्वंय ने प्राप्त करली और सभी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 की रजिस्टर्ड तामिल पर लेने से इंकार करने का नोट लगाकर वापिस न्यायालय मे भेज दिये गये और न्यायालय श्रीमान् को मुगलता मे रखते हुऐ प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 की दिनांक 26.02.2020 को एकतरफा कार्यवाही करवा दी गई और फिर दावा मे आगे की प्रोसोडिंग प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 की एक तरफा मे करवाते हुऐ तथा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट बिना प्रतिवादीगण की जानकारी मे मिल्लत से तैयार करवाकर, न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश करवाकर, दिनांक 04.12.2023 को एक पक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली गई। हम प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को उक्त निर्णय की जानकारी नही थी। लेकिन अब हम प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 257 वाके चावण्डी पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल ली तो उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी वादीगण के नाम से मिलने पर हम प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.11.2024 को वादीगण से मिले एवं उनको कहा कि हमारा खसरा नम्बर 357 आपकी खातेदारी मे दर्ज है उसे वापिस हमारे नाम करवाओ तो वादीगण ने कहा कि यह खसरा नम्बर तो हमारे नाम से न्यायालय की डिक्री के मुताबिक दर्ज किया गया है। इसकी ऐवज मे आपके नाम से हमारा खसरा नम्बर 363 करवा दिया गया है। तब हम प्रार्थीगण ने कहा कि आपने यह क्यो करवाया है वापिस हमारी भूमि हमारे नाम करवाओ और तुम्हारी भूमि आपके नाम करवाओ तो प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया और हम वादीगण को धमकी दी की हम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी के मुताबिक खसरा नम्बर 357 पर से आपको जबरन बेदखल कर, कब्जा ले लेगें। इस पर हम प्रार्थीगण द्वारा अपने वकील साहब से दिनांक 28.11.2024 को मिले तो वकील साहब ने जांच कर, उक्त अनुवानी दावा मे पारित निर्णय व आर्डरसीट आदि दस्तावेजात की नकल के लिए आवेदन किया

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

गया जो सभी नकले दिनांक 29.11.2024 को प्राप्त होने पर हम प्रार्थीगण द्वारा गांव के वही वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी को दावा की शुरू से ही जानकारी थी और प्रतिवादी सं0 1 की विधिवत रूप से तामिल मौजिज लोगो को दिनांक 16.12.2024 को एकत्रित किये गये तो लोगो ने भी वादीगण को काफी समझाया लेकिन वादीगण द्वारा साफ इंकार कर दिया और उक्त निर्णय के आधार पर दर्ज खातेदारी के आधार पर हमारे खसरा नम्बर 357 पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। इसलिए हम प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाकर, न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय दिनांक 04.12.2023 को अपास्त किया जाकर, निर्णय व डिक्री को पुनः सैटासाईड किया जाने की प्रार्थना की गई एवं मूल प्रार्थना पत्र के निर्णय की न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय के प्रचलन को स्थगित किया जाने की प्रार्थना की गई ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर,अप्रार्थीगण/वादीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये।

अप्रार्थी/वादीगण बाद तामिल जरिये अधिक्ता न्यायालय मे उपस्थित होकर, प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यो को मिथ्या एवं गलत बताते हुये जबाब पेश किया है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रतिवादीगण के पास रजि0 तामिल भेजी गई थी जिन तामिलो को प्रतिवादीगण ने जानबुझकर प्राप्त नही करने के कारण तामिल वापिस न्यायालय मे लौट आने पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर, प्रकरण मे पुर्ण सुनवाई कर, विधिवत रूप से निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिस निर्णय व डिक्री की पालना राजस्व रिकार्ड मे हो गयी है। दावा की पूर्ण जानकारी प्रतिवादीगण को थी लेकिन प्रतिवादीगण जानबुझकर उक्त प्रकरण की पैरवी के लिए न्यायालय मे उपस्थित नही हुये और अब यह मियाद बाहर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है तथा मय खर्चा खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई । पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई ।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की विधिवत रूप से तामिल नही हुई । ना ही प्रार्थीगण को दावा की जानकारी थी अब प्रार्थीगण को न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित एक्सपार्टी के निर्णय की जानकारी होने पर यह प्रार्थना पत्र अविलम्ब पेश किया गया है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर, न्यायालय श्रीमाान् द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2023 को सैटासाईड किया जाकर, प्रार्थीगण को सुनवाई का समूचित अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन मे कानूनी विनिश्चय के रूप मे RRT 2002 RAJ. PASE-1, RLW 2018(2) PASE 1621 SC, RLW 2019 (2) RAJ. पेश किये गये है।

वकील अप्रार्थीगण/वादीगण अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुऐ तर्क दिये कि प्रार्थीगण को उक्त अनुवानी दावा की पूर्ण जानकारी थी । रजि0 तामिल भी न्यायालय श्रीमान् द्वारा भेजी थी जिनको प्रतिवादीगण ने जानबुझकर प्राप्त नही की गई। इसलिए न्यायालय श्रीमान् द्वारा विधिवत रूप से प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही कर, पत्रावली मे पूर्ण सुनवाई कर ,विधिवत रूप से निर्णय पारित किया गया है। इसलिए न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय व डिक्री किसी प्रकार से भी पुनः सैटासाईड किये जाने योग्य नही है। प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षो की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रार्थीगण की ओर से पेश कानूनी दृष्टांतो का अध्ययन किया गया। जो प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर पूर्ण रूप से चस्पा नही होती है। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को दावा की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई। जो राजस्व डाक को प्रतिवादीगण ने लेने से इंकार करने पर डाक न्यायालय मे वापिस लौटकर आयी है। इसके बावजूद भी तारीख पेशी पर प्रतिवादीगण असालत व वकालतन उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध विधिवत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाकर,राजस्व वाद सं0 1983/2015(195/2013) को मे विधिवत रूप से प्रोसिडिंग पूरी की जाकर,दावा को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2023 को विधिवत रूप से पक्षीय डिक्री किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण की जानकारी नही होना बताकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि मूल पत्रावली मे प्रतिवादीगण की तामिल की रजि0 डाक जो वापिस लौटकर आयी उसके मुताबिक प्रतिवादीगण तामिल लेने से इंकार किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण शुद्ध हस्त से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष नही आये है। न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर उक्त अनुवानी दावा का निर्णय किया गया है। जो निर्णय पुनः सैटासाईड करने के कोई आधार नही होने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 खारिज होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 जा0दी0 आधार संगत नही होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18-9-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया ।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
नीमराना (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना (अलवर)